

**बिहार सरकार**  
**शिक्षा विभाग**  
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)  
**आदेश**

पटना, दिनांक .....

संचिका संख्या-08/मु०-04-04/2024 ...../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या 2962/2021 श्री सुदेश्वर साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री सुदेश्वर साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश ज्ञापांक 931 दिनांक 01.12.2020 एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक 623 दिनांक 06.09.2021 को निरस्त कर दिया गया एवं श्री साह के विरुद्ध जाँच को नये सिरे से संचालित करने तथा श्री साह को औपबंधिक पेंशन एवं बकाया सेवांत लाभ के भुगतान का आदेश दिया गया।

तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 106 दिनांक 29.01.2024 द्वारा श्री सुदेश्वर साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर औपबंधिक पेंशन एवं बकाया सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति दी गयी तथा श्री साह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 160 दिनांक 15.02.2024 द्वारा श्री साह के विरुद्ध उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत को तथा उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), मुजफ्फरपुर को नामित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या 2962/2021 श्री सुदेश्वर साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध श्री साह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल.पी.ए. संख्या 17/2024 दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल.पी.ए. संख्या 17/2024 श्री सुदेश्वर साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.12.2024 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है —

"5. Considering the fact that the impugned judgment has directed a fresh enquiry to be conducted from the stage of issuance of original memo of charges; when the earlier enquiry was found to be defective twice and remanded for fresh consideration from the stage at which the defect was occasioned and also considering the fact that in the earlier enquiry, the Department did not lead any evidence, we are inclined to stay the further issuance of charge memo directed by the learned Single Judge."

एल.पी.ए. संख्या 17/2024 श्री सुदेश्वर साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 25.02.2025 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है —

"3. He has further informed this Court that a similar issue has been raised by a Division Bench and the matter has been referred to a Larger Bench, to be constituted, viz., under what circumstances can there be a remand of the domestic proceeding and at what stage.

4. Let this matter come up for consideration after the decision in the Full Bench, which shall be informed to us by the learned Counsel for the appellant by making a mention for early hearing of this case."

उक्त माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री सुदेश्वर साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के विरुद्ध प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 106 दिनांक 29.01.2024 द्वारा संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। एल. पी.ए. संख्या 17/2024 श्री सुदेश्वर साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय का न्यायादेश प्राप्त होने के उपरांत श्री साह के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक-08/मु०-04-04/2024 - 1097

पटना, दिनांक 05.10.2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०)/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा-17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री सुदेश्वर साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर-सम्प्रति-सेवानिवृत्त, पता:-C/O-विश्व कल्याणी रामनंदनी, फ्लैट नं०-1406, B3, Western Heights A Joyville, Shapoorji Pallonji, Salap Junction, Howrah Amta Road, Kolkata West International City, P.O.-Bankra, P.S.-Domjur, District- Howrah, Pin-711403, State-West Bengal /आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)